राष्ट्रीय लोक अदालत–2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः–रजत कुमार विजयवर्गीय(R.A.S.)

प्रकरण सख्याः–113/2022

1. कन्हैयालाल पुत्र गोरीलाल जाति माली निवासी जनता टोडी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादी

बनाम

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र पांथू उर्फ पांचू जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. कालीबाई पत्नी पांथू उर्फ पांचू जाति माली निवासी स्टेट बैंक के पास मांगरोल तहसील मांगरोल
3. बदीबाई पत्नी पांथू उर्फ पांचू जाति माली निवासी स्टेट बैंक के पास मांगरोल तहसील मांगरोल
4. चन्दा बाई पुत्री पत्नी पांथू उर्फ पांचू पत्नी पप्पू जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल हाल निवास मैला ग्राउण्ड के पास बारां जिला बारां
5. सीमा पुत्री पांथू उर्फ पांचू पत्नी रामेश्वर जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल हाल निवास मोलकी तहसील अन्ता
6. ज्योति पुत्री पांथू उर्फ पांचू जाति माली निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल
7. उराजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वकील वादीः–श्री भवर सिंह गौड एवं लवकुल गौड

वकील प्रतिवादीगणः–श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांक : 28.07.2022 निर्णय दिनांक : 12.11.2022

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण बिन्दूवार निम्न प्रकार है :–

1. खसरा नं0 1028 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 1032 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 1081 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 1524 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1545 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 1546 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 1595 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1599 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1601 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1602 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 1618 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1619 रकबा 0.03 है0 कुल किता 12 रकबा 3.27 है0 आराजी वाके ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल में स्थित है।

Scanned by CamScanner

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादी कम 1 ता 6 के पिता व पति पांथू उर्फ पांचू माली ने ससुरबाई पत्नि रघुनाथ, राजेश बाई पत्नि हेमराज, धर्मेन्द्र पुत्र जगदीश चौरासिया, अजीत पुत्र महेन्द्र कुमार, सुनिताबाई पत्नि राजेन्द्र कुमार व लक्ष्मणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह को बेचान कर दी उक्त व्यक्तियों के मद नं0 1 में वर्णित खसरा नं० व रकबा पृथक से खाते में दर्ज कर दिये।

3. यह कि मद नं0 2 में वर्णित व्यक्तियों को बेचान करने के पश्चात प्रतिवादीगण के पिता व पति पांथू उर्फ पांचू के खाते के शेष आराजी खसरा नं0 1524 रकबा 0.04 हे०, खसरा नं0 1618 रकबा 0.06 हे०, खसरा नं0 1619 रकबा 0.03 हे० किता 3 आराजी 0.13 हे० आराजी का खाता पृथक से प्रतिवादी कम 1 ता 6 के पिता व पति पाथूं उर्फ पांचू के खाते में शेष बची है प्रतिवादी कम 1 ता 6 के पिता व पति पांथू उर्फ पांचू का देहान्त 5 वर्ष पूर्व करीबन हो चुका है प्रतिवादी कम 1 ता 6 मृतक पाथू उर्फ पांचू के खाते की आराजी पर इन्तकाल खुलवाने पर आमादा है।

4. यह कि वादी ने उक्त वर्णित आराजी के खातेदार पाथूं उर्फ पांचू जो प्रतिवादी कम 1 ता 6 के पिता व पति है से हिस्सा 1/36 किता 12 रकबा 3.27 हे0 में से खरीदा जिसके खसरा नं0 1028 रकबा 0.73 हे०, खसरा नं० 1032 रकबा 1.39 हे0, खसरा नं0 1081 रकबा 0.36 हे०, खसरा नं0 1524 रकबा 0.04 हे0, खसरा नं० 1545 रकबा 0.24 हे०, खसरा नं0 1546 रकबा 0.17 हे०, खसरा नं0 1595 रकबा 0.04 हे०, खसरा नं० 1599 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 1601 रकबा 0.02 हे०, खसरा नं0 1602 रकबा 0.14 हे0, खसरा नं० 1618 रकबा 0.06 हे०, खसरा नं0 1619 रकबा 0.03 हे० का हिस्सा 1/3 का 1/12 अर्थात रकबा 1/36 (रकबा 0.09 हे०) आराजी जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.08.2006 को कीमतन 10,000/–रू0 में खरीद की है इस मद में वर्णित आराजी में से खसरा नं0 1524, 1618, 1619 शेष आराजी पांचू उर्फ पांथू के खाते में बची है इस आराजी में वादी की खरीद शुदा आराजी रकबा 0.09 हे0 लेने का वैधानिक अधिकार है क्योकि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पिता ने धोखाधडी से बेईमानी पूर्वक अन्य विक्रेताओ मद नं. 2 में वर्णित लोगो को बेचान कर दिया है।

5. यह कि बाद रजिस्ट्री वादी राजस्व अधिकारियों से उक्त खरीद शुदा आराजी पर इन्तकाल खुलवाने का लगातार प्रयास करता रहा लेकिन उक्त आराजी पर इन्तकाल आज तक राजस्व अधिकारियो द्वारा नही खोला गया जबकि वादी को इन्तकाल खुलवाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। मृतक खातेदार पाथूं उर्फ पांचू के उत्तराधिकारियों प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 अपने नाम इन्तकाल खुलवाना चाहते है अगर बाद रजिस्ट्री वादी की खरीद शुदा भूमि पर इन्तकाल प्रतिवादी कम 1 ता 6 का खोल दिया गया तो वादी को भारी आर्थिक नुकसान होगा व अन्य न्यायालयो में कार्यवाही करना पड़ेगा। प्रतिवादीगण बाद इन्तकाल खुलने पर उक्त वर्णित आराजी को बेचान रहन व हस्तान्तरण करने पर आमादा है।

6. यह कि वादी इन्तकाल उक्त वर्णित आराजी पर दिनांक 06.07.2022 को व इस तिथि से पूर्व भी कई बार इन्तकाल खुलवाने राजस्व अधिकारियों के पास गया तो उनके द्वारा इन्तकाल दर्ज करने से स्पष्ट मना कर दिया ओर कहा कि अदालत में दावा करो तब वाद कारण पैदा हुआ।

7. यह कि प्रतिवादी क्रम 7 को भू धारक होने से वाद मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा राज्य सरकार के विधिक प्रतिनिधी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को कानूनी नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. का जर्ये अधिवक्ता मियाद 2 माह प्रेषित करवा दिया है किन्तु प्रतिवादीगण आराजी पर नामान्तरण दर्ज करवाने पर आमादा है इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने से प्रार्थना–पत्र धारा 80 (2) सी.पी.सी. के साथ वाद पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 538 खसरा नं0 1524 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1618 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1619 रकबा 0.03 है0 किता 3 आराजी 0.13 है0 में से वादी की खरीद शुदा आराजी रकबा 0.09 है0 पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करें तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी क्रम को आदेश दिया जावे।

Scanned by CamScanner

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 28.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जर्ये समन प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी कम 1 ता 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब वाद पत्र अनुसार वाद पत्र की मद कम 1 ता 9 स्वीकार कर कथन किया कि रजिस्टर्ड बैचान नामा जो हमारे पिता/पति द्वारा किया गया था, वह स्वीकार है जिसमें हमारे पिता/पति द्वारा 9 ऐयर जमीन का बैचान किया था, जो स्वीकार है व हमारे पिता/पति द्वारा रूपये कि आवश्यकता होने के कारण उक्त मंद नं. 1 में वर्णित खाते में से अन्य लोगों को बैचान कर दिया गया शेष बची हुई भूमि में 9 ऐयर जमीन वादी के खाते में दर्ज कि जाये, तो हमें कोई आपत्ति नही है। क्योंकि उक्त ऐयर जमीन का बैचान हमारे पिता/पति द्वारा किया गया है जिसकी जानकारी हमें है। अतः वादी द्वारा वाद पत्र में कि गई प्रार्थना स्वीकार है, जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि खाता संख्या 538 की किता 3 रकबा 0.13 है0 के खसरा न. 1524 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 1618 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 1619 रकबा 0.03 है0, कुल किता 3 आराजी 0.13 है0 जो कि वादी द्वारा खरीद शुदा आराजी 0.09 है0 पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु प्रतिवादी कम 7 को आदेश दिया जाये तो हमें प्रतिवादी कम 1 ता 6 को कोई आपत्ति नहीं है, वादी के वाद पत्र की प्रार्थना व वाद पत्र हमें स्वीकार है।

प्रतिवादी कम 7 तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट कमांकःराजस्व/2022/1517 दिनांक 21.10.2022 के अनुसार वादी द्वारा विकय पत्र में पांथू पुत्र माधो माली निवासी मांगरोल ने कस्बा मांगरोल की आराजी खसरा नं0 1028, 1032, 1081, 1524, 1545, 1546, 1595, 1601, 1602, 1618, 1619 किता 12 रकबा 3.27 है0 में से हिस्सा 1/3 का 1/12 यानि 1/36 वें हिस्से का बैचान कन्हैयालाल पुत्र गौरीलाल माली मांगरोल के नाम किया गया, यह विकय पत्र रसीद नं0 2003000990 दिनांक 25.08.2006 से उपपंजीयक मांगरोल के यहां पजीबद्ध हुआ था। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है, नामान्तरण नं0 2043 दिनांक 2.6.2015 न्याय आदेश से खसरा नं0 1028, 1524, 1618, 1619 किता 4 रकबा 0.86 है0 भूमि पांचू माधो माली के नाम दर्ज हुई। इसके बाद नामा0 संख्या 2090 दिनांक 6.10.2016 विकय पत्र व 2126 दिनांक 13.04.2016 विकय पत्र से खसरा नं0 1028 भूमि धर्मेन्द्र प जगदीश के नाम दर्ज की गयी, जिससे पांचू पुत्र माधो माली के नाम ग्राम मांगरोल में खसरा नं0 1524/0.04 है0 , 1618/0.06 है0, 1619/0.03 है0 भूमि शेष रही है । इस प्रकार संलग्न विकय पत्र में अंकित खसरे व हिस्से का वर्तमान जमाबन्दी के खसरे व हिस्से से मिलान नहीं होता है, खातेदार पांचू की मृत्यु हो गई है, विकय पत्र में विकेता का नाम पांथू पुत्र माधो माली है और वर्तमान जमाबनदी में पांचू पुत्र माधो माली दर्ज है।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबन्दी मांगरोल सम्वत 2073–2076, प्रदर्श–2 जमाबन्दी मांगरोल सम्वत 2069–2072, प्रदर्श–3 रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25.08.2006 प्रदर्श वादीगण की ओर से प्रदर्श करवाये गये।

प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य में DW-1 चन्दाबाई, DW-2 ज्योति, DW-3 सीमाबाई, DW-4 कालीबाई, DW-5 बद्रीबाई, DW-6 विजेन्द्र के बयान/शपथपत्र लेख बंद करवाये।

वकील पक्षकारान की बहस सूनी गई । दौराने बहस वकील पक्षकारान ने उन्ही तथ्यो का दौहराया जो वाद पत्र व जवाब वादपत्र में वर्णित है।

वाद पत्र, जवाब वाद पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार मांगरोल, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड का अध्ययन एवं मनन किया गया। विकय पत्र में पांथू पुत्र माधो माली निवासी मांगरोल ने कस्बा मांगरोल की आराजी खसरा नं0 1028, 1032, 1081, 1524, 1545, 1546, 1595, 1601, 1602, 1618, 1619 किता 12 रकबा 3.27 है0 में से हिस्सा 1/3 का 1/12 यानि 1/36 वें हिस्से का बैचान कन्हैयालाल पुत्र गौरीलाल माली मांगरोल के नाम किया गया, यह विकय पत्र रसीद नं0 2003000990 दिनांक 25.08.2006 से उपपंजीयक मांगरोल के यहां पजीबद्ध हुआ था। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है, नामान्तरण नं0 2043 दिनांक 2.6.2015 न्याय आदेश से खसरा नं0 1028, 1524, 1618, 1619 किता 4 रकबा 0.86 है0 भूमि पांचू माधो माली के नाम दर्ज हुई। इसके बाद नामा0 संख्या 2090 दिनांक 6.10.2016 विकय पत्र व 2126 दिनांक 13.04.

Scanned by CamScanner

6 विकय पत्र से खसरा नं0 1028 भूमि धर्मेन्द्र प जगदीश के नाम दर्ज की गयी, जिससे पांथू पुत्र माधो माली नाम ग्राम मांगरोल में खसरा नं0 1524/0.04 है0 , 1618/0.06 है0, 1619/0.03 है0 कुल किता 3 रकबा 0.13 है0 भूमि शेष रही है। प्रतिवादीगण कम 1 ता 6 द्वारा भी जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि हमारे पिता/पति द्वारा 9 ऐयर जमीन का बैचान वादी को किया था जिसकी हमें जानकारी है एवं शेष बची हुई भूमि में 9 ऐयर जमीन वादी के खाते में दर्ज कि जाये, तो हमें कोई आपत्ति नही है इस संबंध में प्रतिवादीगण 1 ता 6 द्वारा आपसी रजामंदी जाहिर की। अतः शेष रही भूमी खसरा नं0 1524 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1618 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1619 रकबा 0.03 है0 कुल किता 3 रकबा 0.13 है0 में से वादी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की गई आराजी रकबा 0.09 है0 में वादी को सहखातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम मांगरोल की आराजी खाता संख्या 538 खसरा नं0 1524 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 1618 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1619 रकबा 0.03 है0 कुल किता 3 रकबा 0.13 है0 में से 0.09 है0 आराजी में वादी कन्हैयालाल को सहखातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Scanned by CamScanner